उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार – 249404

संख्याः 276/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा–2/2021–22 **दिनांकः 28 अगस्त, 2024**

अधिमानी अर्हता विषयक सूची

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन–2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर, **संस्कृत (Sanskrit)** विषय हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 (यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में A.P.I. स्कोर के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित शार्टलिस्टिंग परिणाम **दिनांक 07 जून, 2024** में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 24 जून, 2024 तक अभिलेख प्राप्त किये गए थे, जिसके क्रम में **असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत (Sanskrit)** विषय के कतिपय अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे के सापेक्ष संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण तालिका कॉलम–03 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया हैः–

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	504307	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में बोनस अंक से संबंधित अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
2.	504311	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/ पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी **अर्हता का दावा मान्य नहीं** है।
3.	504490	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/ सेमिनार /पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम **में अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं है।**

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404 के कार्यालय को **दिनांक 28 अगस्त, 2024 के सांय 06:00 बजे (बुधवार) तक** व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव